संख्या जी–2–408 / दस–2012–626–2000

प्रेषक,

आनन्द मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
2–प्रमुख सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0शासन।
3–समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांकः 16 नवम्बर, 2012

विषयः उत्तर प्रदेश, वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुसार वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों को अपने विभिन्न प्रकार के वाहनों को संतोषजनक और चालू स्थिति में रखते हुए सरकारी कार्य के हित में मुख्यालय पर की जाने वाली यात्राओं में उपयोग करने हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम–82 के अधीन अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का निर्धारण अंतिम बार कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–4–229 / दस–2000–626 / 2000, दिनांक 10 मार्च, 2000 द्वारा किया गया था। इस संबंध में वेतन समिति 2008 द्वारा की गयी संस्तुतियों पर विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय निम्न स्तम्भ–3 में उल्लिखित वर्तमान दरों के स्थान पर स्तम्भ–4 में उल्लिखित दर से वाहन भत्ता पुनरीक्षित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क्र0सं0	वाहन का नाम	वाहन भत्ते की वर्तमान दरें (रूपये प्रतिमाह)	वाहन भत्ते की पुनरीक्षित दरें (रूपये प्रतिमाह)
1	2	3	4
1	मोटरकार (जहाँ औसत स्थानीय यात्रा 400 कि0मी0 प्रतिमाह से अधिक होती है)	800	1600
2	मोटर साईकिल / स्कूटर	350	700
3	मोपेड	150	300
4	साईकिल	50	100

2– यदि किसी मामले में उक्त स्तम्भ–4 में अंकित दरों से ऊंची दर पर वाहन भत्ता स्वीकृत किया गया हो तो उसे भी उपर्युक्त पुनरीक्षित दर पर ही वाहन भत्ता अनुमन्य होगा।

–2–

3– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय बचत निदेशालय के अपर जिला बचत अधिकारी के पदों का मोटर साईकिल/स्कूटर भत्ते की अनुमन्यता वाले कार्मिकों की श्रेणी में तथा चिकित्सा विभाग के अरबन मलेरिया/फाइलेरिया संवर्ग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को साईकिल भत्ता की अनुमन्यता वाले कार्मिकों की श्रेणी में सम्मिलित करते हुए उक्त कार्मिकों को पूर्व प्रस्तर–1 के अनुसार पुनरीक्षित दरों पर क्रमशः मोटर साईकिल/स्कूटर भत्ते तथा साईकिल भत्ता दिनांक 01 नवम्बर, 2012 से अनुमन्य होगा।

4– वाहन भत्ते की उक्त दरें केवल ऐसे मामलों में ही प्रभावी हैं, जिनमें सरकारी कार्य के हित में की जाने वाली यात्राओं हेतु उपरोक्त वाहनों को संतोषजनक स्थिति में रखे जाने की शर्त के अधीन वाहन भत्ता स्वीकृत किया गया हो।

5– वाहन भत्ते की उक्त दरें उन सरकारी सेवकों को अपनी कोटि के अनुसार अनुमन्य होंगी जिन्हें वित्तीय नियम संग्रह की परिशिष्ट viii या शासन के वित्त विभाग की सहमति से/द्वारा स्वयं निर्गत किए गए आदेशों के अधीन वाहन भत्ता ग्राह्य हो।

6– वाहन भत्ते के संबंध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम–82 तथा शासन द्वारा वाहन भत्ते की अनुमन्यता हेतु समय–समय पर निर्गत किए गए शासनादेशों को तद्नुसार उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उनमें निहित समस्त अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

7– **वाहन भत्ते की उक्त पुनरीक्षित दरें दिनांक 01 नवम्बर,2012 से लागू होंगी।**

भवदीय,
आनन्द मिश्र
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या–जी–2–408(1)/दस–2012–626–2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1)– महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2)– प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
(3)– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3)– निदेशक, वित्तीय एवं प्रबन्ध, प्रशिक्षण शोध संस्थान, लखनऊ।
(4)– उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(5)– समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
(बी0के0 सिंह)
विशेष सचिव